# भारत में न्यायिक आलोचना: गलत दोषारोपण और वास्तविक अड़चनें

### यूपीएससी प्रासंगिकता

- **जीएस पेपर II (राजनीति और शासन), लोकतंत्र और संवैधानिक शासन में न्यायपालिका की भूमिका, न्यायिक स्वतंत्रता बनाम जवाबदेही, शक्तियों का पृथक्करण और जाँच और संतुलन।**

### चर्चा में क्यों

प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य संजीव सान्याल सहित अन्य नीति निर्माताओं ने हाल ही में न्यायपालिका की आलोचना की और इसे भारत के तेज़ आर्थिक विकास में "सबसे बड़ी बाधा" बताया। यह आलोचना मुख्य रूप से न्यायिक देरी, बुनियादी ढाँचे और आर्थिक सुधारों में कथित हस्तक्षेप और अक्षमता पर केंद्रित है। इसने बहस को जन्म दिया कि क्या अदालतें वास्तव में विकास को धीमा करती हैं या यह आलोचना न्यायपालिका की लोकतांत्रिक भूमिका को अति-सरलीकृत करती है।

### पृष्ठभूमि

**भारत में न्यायपालिका की भूमिका:**

- न्यायपालिका संविधान की संरक्षक है और यह सुनिश्चित करती है कि सभी कानून और सरकारी कार्रवाइयाँ मौलिक अधिकारों और संवैधानिक सिद्धांतों के अनुरूप हों।
- न्यायालय कार्यपालिका और विधायिका की ज्यादतियों पर अंकुश लगाते हैं और नागरिकों को मनमानी कार्रवाइयों से बचाते हैं।
- **उदाहरण:** ओडिशा में वेदांत खनन मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने आदिवासी अधिकारों और पर्यावरण की रक्षा के लिए खनन कार्यों पर रोक लगाई। इससे स्पष्ट होता है कि न्यायिक हस्तक्षेप परियोजनाओं में देरी कर सकता है, लेकिन न्याय और संवैधानिक अनुपालन सुनिश्चित करता है।
- न्यायपालिका विकास और अधिकारों के संरक्षण के बीच संतुलन बनाती है, जिससे कभी-कभी तेज़ आर्थिक विकास चाहने वाले नीति निर्माताओं के साथ टकराव उत्पन्न होता है।

**न्यायपालिका की आलोचना**

- नीति निर्माताओं का तर्क है कि न्यायिक देरी और हस्तक्षेप भारत के "विकसित भारत" बनने के मार्ग में बाधा डालते हैं।
- **उदाहरण:** वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 की धारा 12A को मुकदमे-पूर्व मध्यस्थता में अप्रभावी बताया गया। वास्तविकता यह है कि न्यायाधीश कानूनों को लागू करते हैं; वे उन्हें स्वयं नहीं बदल सकते।
- अक्सर खराब तरीके से तैयार किए गए कानून ही देरी का मूल कारण होते हैं।

- छोटे अल्पसंख्यक द्वारा कानून के दुरुपयोग को रोकने के लिए बनाए गए प्रावधान ("99-से-1 समस्या") बहुसंख्यकों के लिए अनावश्यक जटिलताएँ पैदा करते हैं और मुकदमेबाजी का बोझ बढ़ाते हैं।

### *न्यायिक आलोचना में प्रमुख मुद्दे*

#### 1. अदालत के समय और छुट्टियों की गलत व्याख्या

- अक्सर न्यायाधीशों के प्रत्यक्ष कार्य समय (सुबह 10:30 बजे से शाम 4:00 बजे तक) और छुट्टियों को आलस्य समझ लिया जाता है।
- **वास्तविकता:** न्यायाधीश अक्सर सुबह-सुबह, देर रात और सप्ताहांत में केस ब्रीफ पढ़ने, फैसलों का मसौदा तैयार करने और पूर्व उदाहरणों का अध्ययन करने में लंबा समय बिताते हैं।
- छुट्टियों का उपयोग लंबित फैसलों को पूरा करने और आगामी मामलों की तैयारी के लिए किया जाता है।

#### 2. खराब तरीके से तैयार किए गए कानून

- अस्पष्ट, पुराने या अति-जटिल कानून मुकदमेबाजी बढ़ाते हैं और मामलों के निपटान में देरी पैदा करते हैं।
- **उदाहरण:** आगामी आयकर अधिनियम कुछ शब्दों को सरल बनाता है, लेकिन नई अस्पष्टताएँ पैदा करता है, जिससे विवाद और कार्यभार बढ़ जाता है।

#### 3. सरकारी मुकदमेबाजी प्रथाएँ

- सार्वजनिक उद्यमों और सरकारी एजेंसियों द्वारा अत्यधिक अपील या दायित्वों की अनदेखी अदालतों पर बोझ बढ़ाती है, जिससे निपटान में देरी होती है।

@resultmitra www.resultmitra.com 9235313184, 9235440806

#### 4. निचली अदालतों में लंबित मामले

- ज़िला अदालतों में मुकदमों का भारी बोझ, कर्मचारियों की कमी और जनमुकदमों की संख्या अधिक होने के कारण न्याय मिलने में देरी होती है।

### *आलोचना का अतिसरलीकरण*

- न्यायपालिका को "सबसे बड़ी बाधा" कहना दोषपूर्ण कानूनों, अपर्याप्त वित्त पोषण और शासन की विफलताओं जैसे प्रणालीगत कारणों की अनदेखी करता है।

### *निहितार्थ*

- **न्यायपालिका शासन की विफलताओं को प्रतिबिंबित करती है:** देरी प्रणालीगत समस्याओं को दर्शाती है, न कि न्यायाधीशों की काम करने की अनिच्छा को।
- **विकास बनाम अधिकार:** न्यायालय संवैधानिक अधिकारों की रक्षा और उचित प्रक्रिया सुनिश्चित करते हुए तीव्र विकास को संतुलित करते हैं।

- **गलत आलोचना लोकतंत्र को कमजोर कर सकती है:** गति के नाम पर न्यायिक स्वतंत्रता को कमजोर करने से संवैधानिक ढांचे को नुकसान पहुँचने का खतरा है।

### *न्यायपालिका के सामने चुनौतियाँ*

1. **अति सरलीकृत आलोचना**
   न्यायिक देरी के लिए अक्सर केवल न्यायाधीशों को दोषी ठहराया जाता है, जबकि खराब कानून और सरकारी व्यवहार जैसे प्रणालीगत कारणों को अनदेखा किया जाता है।

2. **गलत समझा गया कार्यभार**
   न्यायाधीशों के प्रत्यक्ष कार्य समय और छुट्टियों को आलस्य समझ लिया जाता है, जबकि अधिकांश काम अदालत के बाहर—जैसे केस ब्रीफ पढ़ना, फैसलों का मसौदा तैयार करना और पूर्व उदाहरणों का अध्ययन—में होता है।

3. **निचली अदालतों पर अत्यधिक बोझ**
   ज़िला अदालतों में लंबित मामलों की भारी संख्या, कर्मचारियों की कमी और जनमुकदमों के दबाव के कारण न्याय में देरी होती है।

4. **खराब ढंग से तैयार किए गए कानून**
   अस्पष्ट या जटिल कानून मुकदमेबाजी बढ़ाते हैं और मामलों के निपटान में देरी पैदा करते हैं।

5. **अत्यधिक सरकारी मुकदमेबाजी**
   सार्वजनिक प्राधिकरण और सरकारी उद्यम अनावश्यक अपील दायर करके अदालतों पर अतिरिक्त बोझ डालते हैं।

IAS-PCS Institute
Result Mitra
रिजल्ट का साथी
www.resultmitra.com 9235313184, 9235440806

### *आगे की राह*

1. **विधायी स्पष्टता**
   अनावश्यक मुकदमेबाजी को कम करने के लिए स्पष्ट, सरलीकृत और नागरिक-हितैषी कानूनों का मसौदा तैयार करें।

2. **ज़िम्मेदार सरकारी मुकदमेबाजी**
   सार्वजनिक प्राधिकरणों और उद्यमों को तुच्छ या अत्यधिक अपीलों से बचना चाहिए।

3. **न्यायिक अवसंरचना और संसाधन**
   न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाएँ, अदालतों का आधुनिकीकरण करें और प्रशासनिक सहायता को मज़बूत करें।

4. **प्रक्रिया सुधार**
   डिजिटलीकरण, वैकल्पिक विवाद समाधान और बेहतर मामला प्रबंधन प्रणालियों को बढ़ावा दें।

5. **संतुलित दृष्टिकोण**
   न्यायपालिका की संवैधानिक भूमिका को स्वीकार करें; व्यक्तिगत न्यायाधीशों को दोष देने के बजाय प्रणालीगत अक्षमताओं पर सुधारों को केंद्रित करें।

## यूपीएससी मुख्य परीक्षा-अभ्यास प्रश्न

**प्रश्न:** "न्यायिक देरी को अक्सर भारत के विकास में मंदी के लिए दोषी ठहराया जाता है, लेकिन वास्तविक कारण प्रणालीगत अक्षमताएँ हैं।" भारतीय न्यायपालिका के सामने आने वाली चुनौतियों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए और न्यायिक स्वतंत्रता से समझौता किए बिना दक्षता में सुधार के लिए सुधार सुझाइए। (250 शब्द)

Result Mitra
रिजल्ट का साथी
@resultmitra www.resultmitra.com 9235313184, 9235440806